2018/00012

नम्बर

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) [illegible] जिला [illegible]

राजस्थान बनाम श्री [illegible]

विषय मुकदमा — [illegible]

राज. भू. रा. अधिनियम की धारा 91

मुकदमा नम्बर [illegible] वर्ष 2018 बाबत [illegible]

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	पक्षकार के हस्ताक्षर
2-2-18	पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट पर भू-अभिलेख निरीक्षक की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/कस्बा [illegible] के खसरा नं./भूमि [illegible] तादादी [illegible] बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा [illegible] से नाजायज कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी को धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जावे, ~~[illegible]~~ हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 8-2-18 पेश हो।	[illegible]
8/2/18	[illegible]	[illegible]

[illegible]

1145a

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 04 / 2018 दिनांकः 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रिपोर्ट (पी--4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] साकिन [illegible] ने ग्राम [illegible] के खसरा नं0 168 रकबा 0.04 बीघा जोहड पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिकमण किया है।

सम्बधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। सबधिंत गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधिंत गैर सायल [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] साकिन [illegible] ग्राम [illegible] खसरा नं0 168 रकबा 0.04 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.12 [illegible] का 50 गुणा रूपये 06/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। बेदखली बावत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत ओ.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाक 8/2/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner